रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267485
CG-DL-E-08112025-267485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4880]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947
No. 4880]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

का.आ. 5035(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5565(अ), दिनांकित 29 अक्टूबर, 2018 के द्वारा राजस्थान राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए को राजस्थान राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-248ए के शाहपुरा – थानागाजी खंड के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 36.810 (मौजूदा किमी 0.000 से किमी 37.552) तक चार लेन खंड के 3.23 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका -1 के कॉलम (2) मे विनिर्दिष्ट आधार दर पर और पेव्द शोल्डर सहित दो लेन के 26.396 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका -1 के कॉलम (1) मे विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत दर पर तथा 10 करोड़ रु. या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के 4.15 किमी [तालिका-3) लंबाई के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए तालिका -1 के कॉलम (2) मे विनिर्दिष्ट आधार दर के 90

प्रतिशत दर पर, नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है-:अर्थात् ,

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है [बाइपास की लंबाई को छोड़कर]**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
राजस्थान के कोटपुतली जिले में भागवास चौरासी के निकट रारा-248ए के डिजाइन चैनेज किमी 04+360 पर	26.396	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	3.23	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त ,ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट 4.15 किमी बाइपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर करोड़ 10रु. अथवा अधिक लागत वाले बाइपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी-:

तालिका-3						
पथकर प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान	**बाइपास का नाम**	**शुरू होने वाला**	**पर मिलने वाला**	**बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है**		**दर, जिस पर फीस संदेय है**
				लंबाई (किमी)	**प्रति किमी लागत**	
राजस्थान के कोटपुतली जिले में भागवास चौरासी के निकट रारा-248ए के डिजाइन चैनेज किमी 04+360 पर	थानागाजी बाइपास	32.660	36.810	4.15	14.35 **करोड़ रु.**	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4

भुगतान-योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 174.34 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/जेएआई/आरजे/सीई-आरओ/एनएच-12014/21-22/35/ई-205028]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

S.O. 5035(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 5565 (E) dated 29 October 2018 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the entire stretch of new NH-248A in the State of Rajasthan to the State Government of Rajasthan.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net 4-Lane road section length of 3.23 km [Table-2] and at sixty per cent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for two lane with paved shoulders of net road section length of 26.396 km [Table-2] and at ninety per cent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for bypasses (costing > 10 Cr.) having net length of 4.15 km [Table-3] of two lane with paved shoulder on the type of vehicle specified in column (1) of Table-1, for Shahpura - Thanagazi Section from design kilometer 0.000 to kilometer 36.810 (existing km 0.000 to km 37.352) of National Highway NH-248A in the state of Rajasthan and authorises the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable** (Excluding length of Bypass costing >10 cr.)	**Rate at which fee is payable**
At km 04+360 design Chainage of NH-248A near Bhagawas Chaurasi in Kotputli district Rajasthan.	26.396	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	3.23	100% for four and more lane, of the base rates of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass Costing Rs. 10 Cr. or more at the following fee plaza for net bypass **length 4.15 km**. specified for such fee plaza (s): -

Table-3

Location of fee plaza (Chaiange)	**Name of the Bypass**	**Taking off**	**Merging at**	**Length of Cost bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (Km.)	**Cost in Km.**	
At km 04+360 design Chainage of NH-248 A near Bhagawas Chaurasi in Kotputli district Rajasthan.	Thanagazi Bypass	32.660	36.810	4.15	14.35 Cr.	90% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 340.00 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 174.34 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. RW/JAI/RJ/CE-RO/NH-12014/21-22/35/E-205028]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA